# प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 30.08.2023

## धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार, रुपया बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में, उ0नि0 धर्मवीर सिंह चौकी प्रभारी पामपैराडाइज थाना रामगढ़ताल मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0529/2023 धारा 420,406,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त अलाउद्दीन शेख उर्फ मासिया पुत्र निजामुद्दीन निवासी उपधी थाना दुधरा जनपद संतकबीर को गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 लाख बीस हजार पाँच सौ रू0 व 01 अदद मोबाइल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** अभियुक्त अलाउद्दीन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.07.2023 को मैं अपने मालिक सुरेश चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया की गाड़ी पिकअप UP53ET6103 चलाकर हाटा में शर्मा एल्यूमिनियम कम्पनी में माल की डिलवरी किया था, जहां से मुझे 2,50,000 रूपये मिला था। मैने पिकअप गाड़ी को भगत चौराहा पर खड़ी करके, पैसे लेकर मालिक को बिना बताये चला गया।

**गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 0529/2023 धारा 420,406,411 भा0द0वि0, थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

अलाउद्दीन शेख उर्फ मासिया पुत्र निजामुद्दीन निवासी उपधी थाना दुधरा जनपद संतकबीर

**बरामदगी-**

2,20,500 रूपये व 01 अदद मोबाइल

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. थाना प्रभारी कमलेश प्रताप सिंह थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 धर्मवीर सिंह चौकी प्रभारी पामपैराडाइज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 क्यूम अली थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर